भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3182

गुरूवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन परियोजनाओं की संधारणीयता

3182 श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में पर्यटन विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की समीक्षा की है;

(ख) नई और चल रही पर्यटन परियोजनाओं के लिए किए गए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय समुदायों, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत पर ऐसी परियोजनाओं के प्रभाव क्या हैं;

(घ) पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन पहलों, अपशिष्ट प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण सहित सतत और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन-से उपाय लागू किए गए हैं;

(ङ) क्या विकास-केंद्रित पर्यटन नीतियां और तीव्र अवसंरचना विकास पारिस्थितिक चिंताओं की उपेक्षा का जोखिम पैदा करते हैं और पर्यटन संवर्धन को पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के साथ संतुलित करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): विभिन्न स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास और उनके पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे - 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' और 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत एक पहल आदि के माध्यम से ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, योजना दिशानिर्देशों और सरकारी निर्देशों के अनुरूप उनसे परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार, चिह्नित तीर्थ और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र

प्रशासनों को परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त योजनाओं को मार्च, 2026 तक की स्वीकृति प्राप्त है।

स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का संचालन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत राजस्व-साझाकरण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने और पूरी हो चुकी परियोजनाओं के सुदृढ़ संचालन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके तथा स्थानीय रोजगार सृजन और समग्र पर्यटक संतुष्टि में सुधार किया जा सके।

पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता एवं आर्थिक स्थिरता सहित स्थिरता के विभिन्न पहलू इस योजना के विचारों में अंतर्निहित हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय स्थायी पर्यटन रणनीति' जारी की है, जिसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना है और 'राष्ट्रीय पारिस्थितिकी-पर्यटन रणनीति' जारी की है जिसका लक्ष्य भारत को पारिस्थितिकी-पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

मंत्रालय ने मिशन लाइफ़ के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए 'ट्रैवल फॉर लाइफ़ (टीएफएल)' की भी परिकल्पना की है, ताकि सतत पर्यटन के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और पर्यटकों तथा पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक स्थायी, जिम्मेदार और लचीला पर्यटन क्षेत्र विकसित करने की दिशा में पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना है।

*****